न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2019/00389

1. कजोड आयु 55 वर्ष आत्मज श्री केसरा जाति चमार निवासी ग्राम पीपलवासा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. मदन आयु 50 वर्ष आत्मज श्री केसरा जाति चमार निवासी ग्राम पीपलवासा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. प्रभू आयु 48 वर्ष आत्मज श्री केसरा जाति चमार निवासी ग्राम पीपलवासा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार, हिण्डोली जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री महेन्द्र जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 26.02.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.06.2019 के विरूद्ध पेश की गई है ।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि तहसीलदार हिण्डोली ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र बाबत् आवंटन निरस्त कराने का पेश कर कथन किया कि केसरा आत्मज चन्दा जाति बैरवा निवासी पीपलवासा को ग्राम पीपलवासा की आराजी खसरा नम्बर 624 की रकबा 02 बीघा 13 बिस्वा दिनांक 16.06.1976 को आवंटित की गई थी । केसरा के वारिसान द्वारा दिनांक 18.05.2009 को नोटेरी के माध्यम से बेचान कर दिया गया है । आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है । अतः आवंटी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावे ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 29.06.2016 के द्वारा तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आवंटी केसरा के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश दिनांक 16.06.1976 निरस्त कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से व्यथित होकर अप्रार्थी अपीलान्टगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की । न्यायालय हाजा ने अपने निर्णय दिनांक 19.02.2019 के द्वारा अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अपीलान्ट का सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया ।

4. न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.02.2019 की पालना में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर करते हुए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.06.2019 के द्वारा अप्रार्थी अपीलान्टगण के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश निरस्त करते हुए वादग्रस्त आराजी कब्जे राज जी जाकर सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.06.2019 से व्यथित होकर अप्रार्थी अपीलान्टगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने 40 वर्ष बाद मात्र कयास के आधार पर आवंटन को निरस्त करने में त्रुटि की है । आवंटी द्वारा आवंटन की समस्त शर्तो की पालना की गई है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया है कि अपीलान्ट ने अपना आवंटन करवाने में किसी प्रकार का धोखा किया है और क्या गलत तथ्य बताये हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.06.2019 निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्टगण के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश बहाल रखा जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की नकल हेतु आवेदन दिनांक 15.07.2019 को दिया गया । नकल दिनांक 02.08.2019 को प्राप्त होने के उपरान्त अपीलान्ट बीमार हो गया । दिनांक 12.09.2019 को ठीक होने के उपरान्त यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार हिण्डोली के द्वारा नियम 17 (ए) राजस्थान उपनिवेशन लघु एवं मध्यम सिंचाई परियोजना क्षेत्र में भूमि का आवंटन नियम, 1968 के तहत एक प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली के समक्ष पेश किया और कथन किया कि अपीलान्ट का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा नहीं है । भूमि का बेचान हुआ है, आवंटन की शर्तो की पालना नहीं हुई है। अतः आवंटन निरस्त फरमाया जावे । आवंटन सन् 1976 में हुआ था जिस पर अपीलान्ट काबिज काश्त है । विधि–विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है । आवंटन निरस्त करने का क्षेत्राधिकार जिला कलक्टर का है । उपखण्ड अधिकारी इसके लिए सक्षम नहीं है । 40 वर्ष के बाद कयास के आधार पर आवंटन खारिज किया है । खातेदारी अधिकार प्रदान करना राजस्व अधिकारियों का उत्तरदायित्व था । अपीलान्ट ने आराजी का बेचान नहीं किया वरन् उस पर

काबिज काश्त है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.06.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने कथन किया कि अपीलान्ट ने सन् 2009 में विक्रय के लिए इकरार किया है और क्रेता को कब्जा दिया है । वादग्रस्त आराजी पर वो काबिज नहीं है। गैर खातेदारी की आराजी का बेचान करना आवंटन शर्तो का उल्लंघन है । अपीलान्ट के द्वारा धारा 183 (बी) का प्रार्थना पत्र भी उपखण्ड अधिकारी के समक्ष पेश किया गया था वो भी दिनांक 17.03.2016 को खारिज हो चुका है और उनके द्वारा आराजी को समर्पण करने के लिए भी एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार के समक्ष पेश किया है । जिला कलक्टर को धारा 17 (ए) के तहत जो शक्तियॉ निरस्त करने की प्रदान की गई हैं वो राजस्व विभाग के नोटिफिकेशन के द्वारा उपखण्ड अधिकारी को प्रदान की गई हैं । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.06.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के जो कारण बताए हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. नियम 17 (ए) राजस्थान उपनिवेशन लघु एवं मध्यम सिंचाई परियोजना क्षेत्र में भूमि का आवंटन नियम, 1968 के तहत छल से, मिथ्या कथन से आवंटन कराने या निमयों के विरूद्ध आवंटन किये जाने अथवा आवंटी द्वारा आवंटन की किसी शर्त का उल्लंघन करने की दशा में जिला कलक्टर को आवंटन निरस्त करने की शक्तियॉ प्रदान की गई हैं और राज्य सरकार उपनिवेशन विभाग की अधिसूचना दिनांक 27.11.2000 के अनुसार इन नियमों के तहत जिला कलकटर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सहायक कलक्टर (मुख्यालय) बून्दी को अधिकृत किया था और इसके उपरान्त कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 28.06.2000 के अनुसार सहायक कलक्टर हिण्डोली की शक्तियॉ उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली को दी गई । इस प्रकार 1968 के नियमों के तहत आवंटन निरस्त करने का अधिकार जिला कलक्टर का है जो उपनिवेशन विभाग की अधिसूचना के अनुसार सहायक कलक्टर एवं बाद में उपखण्ड अधिकारी को प्रत्योयाजित (delegate) की गई है । ऐसी स्थिति में शक्तियों के प्रत्योयाजन (delegation of power) के फलस्वरूप उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित आदेश जिला कलक्टर के द्वारा पारित किया गया आदेश माना जावेगा जिसकी अपील का श्रवणाधिकार इस न्यायालय को न होकर संभागीय आयुक्त महोदय को है ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सक्षम न्यायालय में पेश करने हेतु अपीलान्ट को लौटाई जाती है ।

13. निर्णय आज दिनांक 26.02.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

26/2/21

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा